पच्चीस पैसे INDIA COPY STAMP पच्चीस

२५ पैसे

COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE 2 Rs. भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

TWENTYFIVE PAISE

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.
11-5-07	11-5-07	14-5-07	14-5-07	15-5-07

न्यायालय अनुमण्डल पदाधिकारी, गुमला ।

एस० ए० आर० वाद संख्या 27/2000-01

रोपा उरांव ------------------- आवेदक ।

बनाम्

सत्यनारायण प्रसाद साहु ------------ विपक्षी ।

आदेश

इस वाद की कार्यवाही आवेदक श्री रोपा उरांव वल्दस्व० पुनई उरांव, श्री मनोज उरांव वल्द स्व० रामा उरांव, श्री शशि उरांव वल्द स्व० लड्डू उरांव एवं श्री अनिल उरांव वल्द स्व० पुनई उरांव के आवेदन पर प्रारम्भ की गई है । आवेदकों ने आवेदन में उल्लेख किया है कि विपक्षी सत्यनारायण प्रसाद साहु, पिता नामालूम ने ग्राम पालकोट रोड, गुमला अनुमण्डल गुमला के खाता नं० 45 खेसरा संख्या 1384 रकबा लगभग 15 डी० भूमि छल प्रपंच से ले लिया है उन्हें जमीन वापस दिलायी जाय ।

आवेदन के आधार पर विपक्षी को सूचना निर्गत की गई एवं अंचलाधिकारी, गुमला से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई । सूचना पाकर विपक्षी अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में हाजिर होकर जबाब दाखिल किये एवं अंचलाधिकारी गुमला का जांच प्रतिवेदन प्राप्त है । निर्धारित तिथि को उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी ।

आवेदक के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कहा कि 1966 ई0 में विपक्षी ने सादा कागज से जमीन लिया एवं वे तबसे मकान बनाकर रह रहे हैं आवेदक के अधिवक्ता यह भी कहते है कि अगर मुआवजा का निर्धारण हो तो वे लेने को तैयार हैं । आवेदक एकशपथ पत्र 128 दिनांक 25.1.07 भी दाखिल करते है । विपक्षी के अधिवक्ता बहस के दौरान कहते हैं कि वे प्रश्नगत भूमि 1966 में ही खतियानी रैयत के जायज एवं कानूनी वारिशान पुनई उरांव, रामा उरांव वो लड्डू उरांव से प्राप्त किया एवं वे तभी से मकान बनाकर रहते आ रहे हैं । इस जमीन के अलावा उनका कोई जमीन नहीं है, उन्होंने किसी तरह के छल-प्रपंच से जमीन हांसिल नहीं किया । अगर मुआवजा का निर्धारण होता है तो वो आवेदको को मुआवजा देने को तैयार है । अंचलाधिकारी ने अपने जांच प्रतिवेदन में लिखा है खतियानी रैयत पेठियार महतो वगै0 है और जमाबंदी भी उनके नाम पर कायम है वर्तमान में रोपा उरांव के द्वारा राजस्व लगान दिया जाता है ।वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर एक घर, कुआँ एवं घेरा है जिसका अनुमानित लागत 95,000/- ﴾ पंचानबे हजार ﴿ हो सकता है । मकान निर्माण के संबंध में जांच अभियंता द्वारा भी करायी गई जिन्होंने अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि 26 कमरे का मकान लगभग 0.12 डी0 में बना हुआ है । और मकान चालीस वर्ष पुर्व का है ।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनने, अंचलाधिकारी एवं अभियंता के जांच प्रतिवेदन के अवलोकन के उपरांत मै इस निष्कर्ष पर पहूँचती हूँ कि प्रश्नगत जमीन के हस्तांतरण में छो0 का0 अधिनियम के धारा 46 का उल्लंघन हुआ है लेकिन विपक्षी को 71"ए" के द्वितीय परंतुक का लाभ मिलता है अतः आवेदक के

INDIA COPY STAMP

पच्चीस पैसे | २५ पैसे | 25

सत्यमेव जयते

भारत

TWENTYFIVE PAISE

COURT FEE 2 Rs. भारत INDIA दो रुपए TWO RUPEES

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.

के पक्ष में जमीन वापस करना उचित प्रतीत नहीं होता है बल्कि इसका मुआवजा निर्धा करना ही उचित प्रतीत होता है । प्रथम पक्ष भी इसके लिए सहमत है । अतः खाता नं 45 प्लॉट नं0 1384 रकबा 0.15 डी0, ग्राम पालकोट रोड, गुमला अनुमण्डल गुमला का मुआवजा 10,000/- (दस हजार रूपये) प्रति डी0 की दर से कुल रूपया 1,50,0 (एक लाख पचास हजार रूपया) मात्र निर्धारित किया जाता है, कि उक्त राशि व ड्राफ्ट बनाकर न्यायालय में एक माह के अंदर जमा करें । राशि जमा नहीं करने पर जमीन वापस समझी जायेगी ।

ह0/-अस्पष्ट

अनुमण्डल पदाधिकारी, गुमला ।

16/03/2007

17.4.07 अभिलेख उपस्थापित । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 16.3.07 के अनुपालन में विपक्षी सत्यनारायण प्रसाद साहु के द्वारा आवेदक के नाम पर क्षतिपूर्ति की राशि रू0 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रूपया) मात्र का बैंक ड्राफ्ट नं0 26518? दिनांक 12.4.07 नं0 265910 दिनांक 13.4.07 नं0 265905 दिनांक 13.4.07 नं0 265180 दिनांक 12.4.07 नं0 265909 दिनांक 13.4.07 नं0 265906 दिनांक 13.4.07 नं0 265181 दिनांक 12.4.07 नं0 265908 दिनांक 13.4.07 एवं नं0

उचित पहचान पर भुगतान करें ।

(1) रोपा उरांव 18.4.07
(2) मनोज उरांव 18.4.07
(3) शशि उरांव 18.4.07

ह0/- अस्पष्ट
अनुमण्डल पदाधिकारी, गुमला
17.4.07

मेरे पहचान पर रोपा उरांव मनोज उरांव वो शशि उरांव को 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रूपया) का बैंक ड्राफ्ट मेरे समक्ष दिया गया तथा हस्ताक्षर कर दिये ।

गवाह :- अनील उरांव
18.4.07
लल्लू उरांव 18.4.07
बादल उरांव 18.4.07
रूपेश उरांव 18.4.07

एम0 साहु0
ए जी पी
18.4.07

3.5.07

अभिलेख उपस्थापित, इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 16.3.07 को पारित आदेश के अनुपालन में विपक्षी ने क्षतिपूर्ति की राशि रूपये 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट आवेदक के नाम पर जमा किया जिसे आवेदकगण रोपा उरांव वल्द स्व0 पुनई उरांव, मनोज उरांव वल्द स्व0 लेंड्डू उरांव ग्राम डी0 एस0 डी0 रोड गुमला थाना वो जिला गुमला को विज्ञ अधिवक्ता श्री

INDIA COPY STAMP

पच्चीस पैसे — २५ पैसे — TWENTYFIVE PAISE — 25

सत्यमेव जयते

भारत

COURT FEE — INDIA — TWO RUPEES — 2 Rs

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.

=5=

अतः इस वाद में विवादित भूमि मौजा गुमला थाना गुमला खाता नं0 45 प्लॉट नं0 1384 रकबा 0.15 ए0 (पन्द्रह डी0) का विपक्षी श्री सत्यनाराण साहू पिता स्व0 इन्द्रदेव साहू, जाति कानू ग्राम पालकोट रोड गुमला थाना वो जिला गुमला के नाम पर किए गए अंतरण को विनियमित किया जाता है ।

अतः वाद की कारवायी समाप्त की जाति है ।

लेखापित ।

ह0/-अस्पष्ट

अनुमण्डल पदाधिकारी, गुमला ।

3/5/07

लेखापित ।

ह/0 अस्पष्ट

अनुमण्डल पदाधिकारी, गुमला ।

3/5/07

11/5/07

14/5/07

14/5/07

पच्चीस पैसे INDIA COPY STAMP पच्चीस पैसे

२५ पैसे — 25

COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES 5 Rs

COURT FEE INDIA दो रुपये TWO RUPEES

TWENTY FIVE PAISE

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.
7/5/07	11/5/07	14/5/07	14/5/07	15/5/07

बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1961 छोटानागपुर टिनेन्सी (संशोधन) अधिनियम 1961 के अधीन भूमि वापसी के लिए

आवेदन - पत्र

सेवा में,

उपायुक्त, गुमला द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, गुमला

562

14-6-2005

1. आवेदक का पूरा ब्योरा :-

नाम :- (1) रोपा उरांव (2) मनोज उरांव (3) शशि उरांव (4) अनिल उरांव

पिता का नाम (1) स्व० पुनई उरांव (2) स्व० रामा उरांव (3) स्व० लुड़हु उरांव (4) स्व० पुनई उरांव

जाति का नाम :- उरांव

ग्राम :- डी० एस० पी० रोड गुमला थाना गुमला अनुमण्डल गुमला जिला गुमला

2. क्या आवेदक अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं ? हाँ

3. वापसी की जाने वाली जमीन की पूर्ण विवरण :-

खाता संख्या :- 45 राजस्व थाना नं० 059

खेसरा संख्या :- 1384 रकबा लगभग 0.15 डी०

ग्राम- पालकोट रोड गुमला अंचल गुमला अनुमण्डल गुमला जिला गुमला ।

4. जिस व्यक्ति की दखल मे जमीन है उसका पूरा ब्योरा :-

नाम :- सत्यनारायण प्रसाद साहु पिता का नाम नामालुम जाति साहु ग्राम-

Omprakash

2.10

18/00

E[illegible] 14.45

34.55

चौंतीस रुपैया पचपन पैसा मात्र।

15/5/07

5. वापसी ली जाने वाली जमीन के अंतरण संबंधी विवरण :-

(क) जमीन के अंतरण की तिथि-लगभग दस वर्षो से

(ख) क्या जमीन का अंतरण निबंधित विक्रय-पत्र (रजिस्टर्ड सेल डीड) बन्धक, लीज गीफ्ट या ठेपा आदि द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण:- छल प्रपंच द्वारा ।।

(ग) जमीन के हस्तांतरण में उपायुक्त की पूर्व अनुमति प्राप्त की गई थी ? यदि हां, तो उसका केस संख्या और तारीख :- नहीं ।

(घ) क्या जमीन का हस्तांतरण छल-प्रपंच, या अन्य नाजायज तरीके से किया गया है ? यदि हां, तो उसका संक्षिप्त विवरण :- छल प्रपंच तथा जोर जबरदस्ती द्वारा ।

6. वापसी ली जाने वाली जमीन को वर्तमान स्थिति :- खपर पोस घर तथा कुआँ ।

क्या उस जमीन पर पक्का मकान आदि भी बने हैं । यदि हां, तो उसके बनने की तारीख एवं अनुमानित मूल्य :- खपरा मकान जिसका फर्श पक्का है । बनाने का तारीख लगभग नौ साल जिसका लागत नहीं मालूम ।

7. अन्याय संबंधी सुचनाएँ, यदि कोई हो :-

आवेदक का पूरा ह0/-

रोपा उरांव

मनोज उरांव

शशि उरांव

अनील उरांव

तारीख :- 14/06/2000

एडभोकेट,

14/06/2000

11/5/07

15/5/07

15/5/07

पच्चीस पैसे INDIA COPY STAMP पच्चीस पैसे

२५ पैसे | COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 25 | COURT FEE INDIA 2 Rs. TWO RUPEES

TWENTYFIVE PAISE

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.
7/5/07	11/5/07	14/5/07	14/5/07	15/5/07

सेवा में,

अनुमण्डल पदाधिकारी, गुमला ।

विषय :- एस0 ए0 आर0 वाद सं0 27/2000-01 रोपा उरांव बनाम सत्यनारयण साहु के सम्बन्ध में प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में ।

प्रसंग :- भवदीय ज्ञापांक 304 दिनांक 2.8.06

महोदया,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयक विवरणी निम्न प्रकार है :-

(i) उपरोक्त वाद संबंधी मकान प्रीसेन्ट में

54 - × 54-0" = 2916.00 एस. एफ. एल.

39 -0"×60-0" = 2340.00 ,, ,, ,,

------------------- = 0.12 एकड़ (लगभग)

5256.00 एस. एफ. एल.

में बना हुआ है । (लाईन पलान संलग्न)

(ii) 54-0" × 61-0" में खुला फिल्ड है जिसमेंएक कुआँ एवं एक बाथ रूम बना हु

(iii) उपरोक्त मकान में 26 कमरे बने हुए है । तीन बरामदा एवं एक आंगन भी

मकान में बने हुए है ।

(iv) वादी एवं प्रतिवादी दोनों से सम्पर्क किया गया । वादी एवं प्रतिवादी

अलग-अलग से शपथ पत्र दाखिल किया है कि वे लोग राजीनामा से आपसी सुलह क

लेना चाहते हैं । (शपथ पत्र संलग्न) प्रतिवादी ने बकाये राशि जो बचे हुए जर्म

=2=

(x) मकान काफी वर्षों पूर्व का बना हुआ प्रतीत होता है ।

अनुलग्नक :- (i) शपथ पत्र की छाया प्रति ।

(ii) पट्टा की छाया प्रति ।

विश्वास भाजन,

(अजीम उद्दीन)

ग्रा० वि०वि० प्र० गुमला ।